रा.आ.बैंक(न.दि.)/सीआरजीएफटीएलआईएच/140/2015-16

3 दिसंबर, 2015

बैंकों/आ.वि.कं. के सभी प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारीगण

महोदय/महोदया,

<u>सीआरजीएफएस के अंतर्गत उधारकर्ताओं से सदस्य ऋणदाता संस्थानों द्वारा अग्रिम आधार पर गारंटी शुल्क की वसूली</u>

जैसा कि आपको विदित है कि ऋण जोखिम गारंटी निधि योजना को शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी परिवारों को आवास ऋण के संबंध में गारंटी प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। निम्न आय आवास के लिए अधिसूचति सीआरजीएफ योजना के अनुच्छेद 11 (अध्याय III) के उप अनुच्छेद (2) के संदर्भ में "लाभार्थियों से गारंटी शुल्क अपफ्रंट प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में प्रभारित नहीं किया जाएगा। तथापि, बैंक गारंटी शुल्क का 50% तक कवर करने हेतु ब्याज दर में परिवर्तन कर सकता है। ऋणदाता संस्थान को प्रभारित प्रीमियम का स्पष्ट रूप से प्रकटीकरण करना होगा।"

उपरोक्त के संदर्भ में, हम सहर्ष सूचित करते हैं कि सदस्य ऋणदाता संस्थानों को अब आवास ऋण ब्याज दर पर भार की बजाए अपफ्रंट आधार पर उधारकर्ताओं से गारंटी शुल्क वसूलने की अनुमति है।

उपरोक्त संशोधन दिनांक 17 नवंबर, 2015 से प्रभावी है। तदनुसार, सदस्य ऋणदाता संस्थान अपफ्रंट आधार पर गारंटी का 50% की वसूली कर सकती है। ऋणदाता संस्थान को प्रभारित प्रीमियम का स्पष्ट रूप से प्रकटीकरण करना होगा। आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में अंचल/क्षेत्रीय/शाखा स्तर पर अपेक्षित निर्देश जारी करें।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

भवदीय,

ह/-

(ललित कुमार)

महाप्रबंधक, रा.आ.बैंक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकरी, सीआरजीएफटीएलएच